यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, श्रीनगर, पौडी (गढवाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, श्रीनगर, पौडी (गढवाल) के माह 05/2012 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.06.2017 से 28.06.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, श्रीनगर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2012-13 | - | - | 37.00 | 33.07 | 07.47 | 07.47 | - | - |
| 2013-14 | - | - | 49.40 | 44.93 | 10.45 | 10.26 | - | - |
| 2014-15 | - | - | 56.00 | 48.29 | 11.50 | 11.49 | - | - |
| 2015-16 | - | - | 52.50 | 49.52 | 09.29 | 07.31 | - | - |
| 2016-17 | - | - | 62.94 | 50.68 | 12.66 | 11.21 | - | - |
| 2017-18 | - | - | 26.16 | 15.59 | 02.10 | 0 | - | - |

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन <u>राज्य सरकार</u> द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी '<u>सी</u>' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

| |
|---|
| मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद् |
| प्रमुख सचिव (राजस्व) |
| सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त |
| आयुक्त गढ़वाल मण्डल |
| अपर सचिव (राजस्व) |
| जिलाधिकारी |
| अपर जिलाधिकारी |
| उपजिलाधिकारी |
| तहसीलदार |
| नायब तहसीलदार |

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में <u>वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा</u> को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन <u>उपजिलाधिकारी, श्रीनगर, पौडी (गढवाल)</u> की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2013, 01/2015, 06/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

# <u>शून्य</u>

## **STAN**

<u>प्रस्तरः1</u>- भविष्य निधि अग्रिम से रू 16000/- की कटौती न किया जाना।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, श्रीनगर के सामान्य भविष्य निधि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि श्री राज कपूर सिंह वरिष्ठ सहायक, सा0भ0नि0 सं0 GAU/82266 द्वारा माह 11/2011 में सामान्य भविष्य निधि से रू 50000/- का अस्थायी अग्रिम लिया गया था, जिसकी रू 2000/- रू0 प्रतिमाह अग्रिम वापसी किस्त निर्धारित की गई थी, जो कि माह 1/2012 से कटनी(Deduction) शुरु हुई एवं 1/2014 तक अन्तिम किस्त कटनी चाहिए थी।

सम्प्रेक्षा में पाया गया कि अन्तिम किस्त माह 05/2013 तक (कुल 17 किस्त रू 34000) की ही कटौती की गई, इस प्रकार रू 16000 की कटौती बकाया है।

इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि अवशेष राशि की कटौती करवाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं कटौती पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा को सूचित कराया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है, क्योंकि यह लेखा विभाग का कर्तव्य है, कि कटौती समय से की जाए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

# भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | प्रस्तर का विवरण |
|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा | | | |

# <u>भाग-IV</u>

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, श्रीनगर, पौडी (गढवाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

| क्र.सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यरत समय अवधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1. | श्री वी.के.मिश्रा | उपजिलाधिकारी | 08.09.2009 | 25.05.2012 |
| 2. | श्री ज्योति खैरवाल | उपजिलाधिकारी | 26.05.2012 | 07.06.2012 |
| 3. | श्री रजा अब्बास | उपजिलाधिकारी | 08.06.2012 | 29.09.2016 |
| 4. | श्री माया दत्त जोशी | उपजिलाधिकारी | 10.10.2016 | वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, श्रीनगर, पौडी (गढवाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र